

खण्ड-08 सत्र-01
अंक-01

24 फरवरी, 2025
सोमवार
05 फाल्गुन, 1946 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा पहला सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-08, सत्र-1 में अंक 01 से 05 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह
सचिव
RANJEET SINGH
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप-सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-1 सोमवार, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946 (शक) अंक-01

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 308/दिल्ली-वि.स./2025 की प्रति (हिंदी/अंग्रेजी)	1-5
2.	दिनांक 20 फरवरी, 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्री परिषद के गठन के संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति (हिंदी/अंग्रेजी)	6-9
3.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	10-11
4.	माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत	12
5.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	12
6.	सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान	13-19
7.	अध्यक्ष का निर्वाचन तथा सदस्यों द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई	20-46

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022025-260868
SG-DL-E-09022025-260868असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	दिल्ली, रविवार, फरवरी 9, 2025/माघ 20, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 384
No. 13]	DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 9, 2025/MAGHA 20, 1946	[N. C. T. D. No. 384

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2025

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(1)/2025/1566.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2025

सं. 308/दिल्ली-वि.स./ 2025.—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा 10 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना सं. मु.च.अ./ चु.सं./102(1)/2025/1328 के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के लिए एक नई विधान सभा के गठन के लिए एक साधारण निर्वाचन कराया गया है; और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा घोषित किए जा चुके हैं;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दल सम्बद्धता, यदि कोई हो सहित, निर्वाचित सदस्यों के नाम, एतद्वारा अधिसूचना की अनुसूची में अधिसूचित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 308/ दिल्ली-वि.स./2025

दिनांक 09 फरवरी 2025 की अनुसूची

राज्य का नाम : राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1- नरेला	राज करन खत्री	भारतीय जनता पार्टी
2- बुराही	संजीव झा	आम आदमी पार्टी
3- तिमारपुर	सूर्य प्रकाश खत्री	भारतीय जनता पार्टी
4- आदर्श नगर	राज कुमार भाटिया	भारतीय जनता पार्टी
5- बादली	अहिर दीपक चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
6- रिठाला	कुलबन्त राणा	भारतीय जनता पार्टी
7- बवाना (अ0जा0)	रविन्द्र इन्द्राज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
8- मुन्डका	गजेन्द्र दराल	भारतीय जनता पार्टी
9- किरारी	अनिल झा	आम आदमी पार्टी
10- सुल्तानपुर माजरा (अ0जा0)	मुकेश कुमार अहलावत	आम आदमी पार्टी
11- नांगलोई जाट	मनोज कुमार शौकीन	भारतीय जनता पार्टी
12- मंगोल पुरी (अ0जा0)	राज कुमार चौहान	भारतीय जनता पार्टी
13- रोहिणी	विजेन्द्र गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
14- शालीमार बाग	रेखा गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15- शकूर बस्ती	करनैल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16- त्रिनगर	तिलक राम गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
17- वजीर पुर	पूनम शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
18- माडल टाउन	अशोक गोयल	भारतीय जनता पार्टी
19- सदर बाजार	सोम दत्त	आम आदमी पार्टी
20- चाँदनी चौक	पुनरदीप सिंह साहनी (सैब्री)	आम आदमी पार्टी
21- मटिया महल	आले मोहम्मद इकबाल	आम आदमी पार्टी
22- बल्लीमारन	इमरान हुसैन	आम आदमी पार्टी
23- करोल बाग (अ0जा0)	विशेष रवि	आम आदमी पार्टी
24- पटेल नगर (अ0जा0)	प्रवेश रत्न	आम आदमी पार्टी
25- मोती नगर	हरीश खुराना	भारतीय जनता पार्टी
26- मादी पुर(अ0जा0)	कैलाश गंगवाल	भारतीय जनता पार्टी
27- राजौरी गार्डन	मनजिंदर सिंह सिरसा	भारतीय जनता पार्टी
28- हरि नगर	श्याम शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
29- तिलक नगर	जरनैल सिंह	आम आदमी पार्टी
30- जनक पुरी	आशीष सूद	भारतीय जनता पार्टी
31- विकास पुरी	पंकज कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
32- उत्तम नगर	पवन शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
33- द्वारका	प्रद्युम्न सिंह राजपूत	भारतीय जनता पार्टी

34- मटिआला	सन्दीप सहरावत	भारतीय जनता पार्टी
35- नजफगढ़	नीलम पहलवान	भारतीय जनता पार्टी
36- बिजवासन	कैलाश गहलोत	भारतीय जनता पार्टी
37- पालम	कुलदीप सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
38- दिल्ली छावनी	विवेन्द्र सिंह कादियान	आम आदमी पार्टी
39- राजिन्द्र नगर	उमंग बजाज	भारतीय जनता पार्टी
40- नई दिल्ली	प्रवेश साहिब सिंह	भारतीय जनता पार्टी
41- जंगपुरा	तरविन्दर सिंह मारवाह	भारतीय जनता पार्टी
42- कस्तूरबा नगर	नीरज बैसोया	भारतीय जनता पार्टी
43- मालवीय नगर	सतीश उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
44- आर0 के0 पुरम	अनिल कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
45- महरौली	गजेन्द्र सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
46- छतरपुर	करतार सिंह तंवर	भारतीय जनता पार्टी
47- देवली (अ0जा0)	प्रेम चौहान	आम आदमी पार्टी
48- अम्बेडकर नगर (अ0जा0)	डा. अजय दत्त	आम आदमी पार्टी
49- संगम विहार	चन्दन कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
50- ग्रेटर कैलाश	शिखा रॉय	भारतीय जनता पार्टी
51- कालकाजी	आतिथी	आम आदमी पार्टी
52- तुगलकाबाद	सही राम	आम आदमी पार्टी
53- बदरपुर	राम सिंह नेताजी	आम आदमी पार्टी
54- ओखला	अमानतुल्लाह खान	आम आदमी पार्टी
55- त्रिलोकपुरी (अ0जा0)	रवि कान्त	भारतीय जनता पार्टी
56- कोण्डली (अ0जा0)	कुलदीप कुमार (मोनु)	आम आदमी पार्टी
57- पटपडगंज	रविन्दर सिंह नेगी (रवि नेगी)	भारतीय जनता पार्टी
58- लक्ष्मी नगर	अभय वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
59- विश्वास नगर	ओम प्रकाश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
60- कृष्णा नगर	डा. अनिल गोयल	भारतीय जनता पार्टी
61- गाँधी नगर	अरविन्दर सिंह लवली	भारतीय जनता पार्टी
62- शाहदरा	संजय गोयल	भारतीय जनता पार्टी
63- सीमापुरी (अ0जा0)	वीर सिंह धिंगान	आम आदमी पार्टी
64- रोहतास नगर	जितेन्द्र महाजन	भारतीय जनता पार्टी
65- सीलमपुर	चौधरी जुबैर अहमद	आम आदमी पार्टी
66- घोण्डा	अजय महावर	भारतीय जनता पार्टी
67- बाबरपुर	गोपाल राय	आम आदमी पार्टी
68- गोकलपुर (अ0जा0)	सुरेन्द्र कुमार	आम आदमी पार्टी
69- सुस्तफाबाद	मोहन सिंह बिष्ट	भारतीय जनता पार्टी
70- करावल नगर	कपिल मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी

आदेश से,

अजय कुमार, प्रधान सचिव

आदेश से,

आर एलिस वाज, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2025

No. CEO/COE/102(1)/2025/1566.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2025

No. 308/DL-LA/2025.—Whereas, in pursuance of Notification No. CEO/COE/102(1)/2025/1328, issued by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on 10th January 2025, under Sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi; and

Whereas, the results of the elections in all Assembly Constituencies in the said General Election, have been declared by the Returning Officers concerned.

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the Members elected for these constituencies, along with their party affiliation, if any, in the SCHEDULE to the Notification.

SCHEDULE TO NOTIFICATION NO. 308/DL-LA/2020, DATED 09th February, 2025 OF**THE ELECTION COMMISSION OF INDIA****Name of the State: National Capital Territory of Delhi**

No. & Name of Assembly Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (if any)
1- Nerela	Raj Karan Khatri	Bharatiya Janata Party
2- Burari	Sanjeev Jha	Aam Aadmi Party
3- Timarpur	Surya Prakash Khatri	Bharatiya Janata Party
4- Adarsh Nagar	Raj Kumar Bhatia	Bharatiya Janata Party
5- Badli	Aahir Deepak Chaudhary	Bharatiya Janata Party
6- Rithala	Kulwant Rana	Bharatiya Janata Party
7- Bawana (SC)	Ravinder Indraj Singh	Bharatiya Janata Party
8- Mundka	Gajender Drall	Bharatiya Janata Party
9- Kirari	Anil Jha	Aam Aadmi Party
10- Sultan Pur Majra (SC)	Mukesh Kumar Ahlawat	Aam Aadmi Party
11- Nangloi Jat	Manoj Kumar Shokeen	Bharatiya Janata Party
12- Mangol Puri (SC)	Raj Kumar Chauhan	Bharatiya Janata Party
13- Rohini	Vijender Gupta	Bharatiya Janata Party
14- Shalimar Bagh	Rekha Gupta	Bharatiya Janata Party
15- Shakur Basti	Karnail Singh	Bharatiya Janata Party
16- Tri Nagar	Tilak Ram Gupta	Bharatiya Janata Party
17- Wazirpur	Poonam Sharma	Bharatiya Janata Party
18- Model Town	Ashok Goel	Bharatiya Janata Party
19- Sadar Bazar	Som Dutt	Aam Aadmi Party
20- Chandni Chowk	Punardeep Singh Sawhney (Sabby)	Aam Aadmi Party
21- Matia Mahal	Aaley Mohammed Iqbal	Aam Aadmi Party
22- Ballimaran	Imran Hussain	Aam Aadmi Party
23- Karol Bagh (SC)	Vishesh Ravi	Aam Aadmi Party
24- Patel Nagar (SC)	Pravesh Ratn	Aam Aadmi Party
25- Moti Nagar	Harish Khurana	Bharatiya Janata Party
26- Madipur (SC)	Kailash Gangwal	Bharatiya Janata Party
27- Rajouri Garden	Manjinder Singh Sirsa	Bharatiya Janata Party
28- Hari Nagar	Shyam Sharma	Bharatiya Janata Party
29- Tilak Nagar	Jarnail Singh	Aam Aadmi Party
30- Janakpuri	Ashish Sood	Bharatiya Janata Party
31- Vikaspuri	Pankaj Kumar Singh	Bharatiya Janata Party

32- Uttam Nagar	Pawan Sharma	Bharatiya Janata Party
33- Dwarka	Parduyrn Singh Rajput	Bharatiya Janata Party
34- Matiala	Sandeep Sehrawat	Bharatiya Janata Party
35- Najafgarh	Neelam Pahalwan	Bharatiya Janata Party
36- Bijwasan	Kailash Gahlot	Bharatiya Janata Party
37- Palam	Kuldeep Solanki	Bharatiya Janata Party
38- Delhi Cantt	Virender Singh Kadian	Aam Aadmi Party
39- Rajinder Nagar	Umang Bajaj	Bharatiya Janata Party
40- New Delhi	Parvesh Sahib Singh	Bharatiya Janata Party
41- Jangpura	Tarvinder Singh Marwah	Bharatiya Janata Party
42- Kasturba Nagar	Neeraj Basoya	Bharatiya Janata Party
43- Malviya Nagar	Satish Upadhyay	Bharatiya Janata Party
44- R.K. Puram	Anil Kumar Sharma	Bharatiya Janata Party
45- Mehrauli	Gajender Singh Yadav	Bharatiya Janata Party
46- Chhatarpur	Kartar Singh Tanwar	Bharatiya Janata Party
47- Deoli (SC)	Prem Chauhan	Aam Aadmi Party
48- Ambedkar Nagar (SC)	Dr. Ajay Dutt	Aam Aadmi Party
49- Sangam Vihar	Chandan Kumar Choudhary	Bharatiya Janata Party
50- Greater Kailash	Shikha Roy	Bharatiya Janata Party
51- Kalkaji	Atishi	Aam Aadmi Party
52- Tughlakabad	Sahi Ram	Aam Aadmi Party
53- Badarpur	Ram Singh Netaji	Aam Aadmi Party
54- Okhla	Amanatullah Khan	Aam Aadmi Party
55- Trilokpuri (SC)	Ravi Kant	Bharatiya Janata Party
56- Kondli (SC)	Kuldeep Kumar (Monu)	Aam Aadmi Party
57- Patparganj	Ravinder Singh Negi (Ravi Negi)	Bharatiya Janata Party
58- Laxmi Nagar	Abhay Verma	Bharatiya Janata Party
59- Vishwas Nagar	Om Prakash Sharma	Bharatiya Janata Party
60- Krishna Nagar	Dr Anil Goyal	Bharatiya Janata Party
61- Gandhi Nagar	Arvinder Singh Lovely	Bharatiya Janata Party
62- Shahdara	Sanjay Goyal	Bharatiya Janata Party
63- Seemapuri (SC)	Veer Singh Dhingan	Aam Aadmi Party
64- Rohtas Nagar	Jitender Mahajan	Bharatiya Janata Party
65- Seelam Pur	Chaudhary Zubair Ahmad	Aam Aadmi Party
66- Ghonda	Ajay Mahawar	Bharatiya Janata Party
67- Babarpur	Gopal Rai	Aam Aadmi Party
68- Gokalpur (SC)	Surendra Kumar	Aam Aadmi Party
69- Mustafabad	Mohan Singh Bisht	Bharatiya Janata Party
70- Karawal Nagar	Kapil Mishra	Bharatiya Janata Party

By Order,

AJOY KUMAR, Principal Secy.

By Order,

R ALICE VAZ, Chief Electoral Officer, Delhi

मंत्री परिषद के गठन के संबंध में जारी 6
अधिसूचना की प्रति

24 फरवरी, 2025

रजिस्ट्री सं. बी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20022025-261203
SG-DL-E-20022025-261203

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946	[रा.रा.क्षे.वि. सं. 410
No. 61]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946	[N. C. T. D. No. 410

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

फा. सं. 53/738/सा. प्रशा. वि./समन्वय/2025/411.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1993 के नियम - 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली के परामर्श से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों को निम्नलिखित कार्य आवंटित करते हैं। यह आवंटन स्वीकृत किया जाता है, जहाँ तक कि, संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अधीन उप-राज्यपाल को उनको कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्री-परिषद् के द्वारा सहायता और सलाह देना अपेक्षित है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1993 के नियम 3 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के अनुसार है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो इस प्रकार हैं :-

मंत्री परिषद के गठन के संबंध में जारी 7
अधिसूचना की प्रति

05 फाल्गुन, 1946 (शक)

2

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

क्र.सं.	नाम	पोर्टफोलियो
1	श्रीमती रेखा गुप्ता, मुख्य मंत्री	- सामान्य प्रशासन - सेवाएं - वित्त - राजस्व - महिला एवं बाल विकास - भूमि एवं भवन - जन सम्पर्क - सतर्कता - प्रशासनिक सुधार - योजना एवं वे पोर्टफोलियो जो अन्य किसी मंत्री को आवंटित नहीं किये गये हैं।
2	श्री प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री	- लोक निर्माण विभाग - विधायी कार्य - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण - जल - गुरुद्वारा चुनाव
3	श्री आशीष सूद, मंत्री	- गृह - ऊर्जा - शहरी विकास - शिक्षा - उच्च शिक्षा - प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा
4	सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री	- उद्योग - खाद्य एवं आपूर्ति - पर्यावरण, वन तथा वन्य जंतु विभाग
5	श्री रविंद्र सिंह (इंद्राज), मंत्री	- समाज कल्याण - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण - सहकारिता - चुनाव
6	श्री कपिल मिश्रा, मंत्री	- विधि एवं न्याय - श्रम - रोजगार

मंत्री परिषद के गठन के संबंध में जारी 8
अधिसूचना की प्रति

24 फरवरी, 2025

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

3

		4 विकास 5 कला, संस्कृति एवं भाषा 6 पर्यटन
7	डॉ. पंकज कुमार सिंह, मंत्री	1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2 परिवहन 3 सूचना एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
प्रदीप तायल. संयुक्त सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th February, 2025

F. No. 53/738/GAD/CN/2025/411.—In exercise of powers conferred under Rule 3 of the Government of National Capital Territory of Delhi (Allocation of Business) Rules 1993, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Minister, is pleased to allocate the following portfolios to the Ministers of the National Capital Territory of Delhi. The allocation of business to the Ministers is approved, in so far as, such business relates to matters with respect to which the Council of Ministers is required under Article 239AA of the Constitution to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions, in accordance with Rule 3 of the GNCTD (Allocation of Business) Rules, 1993 and subject to the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. Accordingly, portfolios of the Ministers of the National Capital Territory of Delhi are as follows: -

S.No.	Name of the Council of Ministers	Portfolios
1.	Smt. Rekha Gupta, Chief Minister	1. General Administration, 2. Services, 3. Finance, 4. Revenue, 5. Women and Child Development, 6. Land and Building, 7. Information and Public Relations, 8. Vigilance, 9. Administrative Reforms, 10.Planning and any other Department not allocated to other ministers
2.	Shri Pravesh Sahib Singh, Minister	1. Public Works Department, 2. Legislative Affairs, 3. Irrigation & Flood Control, 4. Water and 5. Gurudwara Elections
3.	Shri Ashish Sood, Minister	1. Home, 2. Power, 3. Urban Development,

मंत्री परिषद् के गठन के संबंध में जारी 9
अधिसूचना की प्रति

05 फाल्गुन, 1946 (शक)

4

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

		4. Education, 5. Higher Education, 6. Training & Technical Education
4.	Sardar Manjinder Singh Sirsa, Minister	1. Industries, 2. Food & Supplies, 3. Environment, Forest & Wild life
5.	Shri Ravinder Singh (Indraj), Minister	1. Social Welfare, 2. Welfare for SC & ST, 3. Cooperative, 4. Election
6.	Shri Kapil Mishra, Minister	1. Law & Justice, 2. Labour, 3. Employment, 4. Development, 5. Art, Culture & Language, 6. Tourism
7	Dr. Pankaj Kumar Singh, Minister	1. Health & Family Welfare, 2. Transport, 3. Information Technology

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PRADEEP TAYAL, Jt. Secy.

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-1 सोमवार, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946 (शक) अंक-01

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. श्री आले मोहम्मद इकबाल | 12. श्री जरनैल सिंह |
| 2. श्री अमानतुल्लाह खान | 13. श्री कुलदीप कुमार |
| 3. श्री अनिल झा | 14. श्री मुकेश कुमार अहलावत |
| 4. श्री अशोक गोयल | 15. श्री ओमप्रकाश शर्मा |
| 5. सुश्री आतिशी | 16. श्री प्रवेश रत्न |
| 6. डॉ. अजय दत्त | 17. श्री प्रेम चौहान |
| 7. डॉ. अनिल गोयल | 18. श्री पुनरदीप सिंह साहनी |
| 8. श्री गजेन्द्र दराल | 19. श्री राम सिंह नेताजी |
| 9. श्री गजेन्द्र सिंह यादव | 20. श्री रवि कान्त |
| 10. श्री गोपाल राय | 21. श्री राजमुमार भाटिया |
| 11. श्री इमरान हुसैन | 22. श्री राज करण खत्री |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 23. श्री सही राम | 42. श्री कुलवन्त राणा |
| 24. श्री संजीव झा | 43. श्री मनोज कुमार शौकीन |
| 25. श्री सतीश उपाध्याय | 44. श्री मोहन सिंह बिष्ट |
| 26. श्री सोमदत्त | 45. श्रीमती नीलम पहलवान |
| 27. श्री सुरेन्द्र कुमार | 46. श्री नीरज बैसोया |
| 28. श्री वीर सिंह धिंगान | 47. श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत |
| 29. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान | 48. श्री पवन शर्मा |
| 30. श्री विशेष रवि | 49. श्रीमती पूनम शर्मा |
| 31. श्री अहिर दीपक चौधरी | 50. श्री रविन्दर सिंह नेगी |
| 32. श्री अभय कुमार वर्मा | 51. श्री संदीप सहरावत |
| 33. श्री अजय कुमार महावर | 52. श्री संजय गोयल |
| 34. श्री अनिल कुमार शर्मा | 53. सुश्री शिखा राय |
| 35. श्री चन्दन कुमार चौधरी | 54. श्री श्याम शर्मा |
| 36. श्री हरीश खुराना | 55. श्री सूर्य प्रकाश खत्री |
| 37. श्री जितेन्द्र महाजन | 56. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह |
| 38. श्री कैलाश गंगवाल | 57. श्री तिलक राम गुप्ता |
| 39. श्री करनैल सिंह | 58. श्री उमंग बजाज |
| 40. श्री करतार सिंह तंवर | 59. श्री विजेन्द्र गुप्ता |
| 41. श्री कुलदीप सोलंकी | |

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 सोमवार, 24 फरवरी, 2025/05 फाल्गुन, 1946 (शक) अंक-01

सदन पूर्वाह्न 11.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष (श्री अरविन्दर सिंह लवली)
पीठासीन हुए।

(राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम्)

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आठवीं विधान सभा का सदस्य चुने जाने पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इस सदन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिल्ली की नई विधानसभा का गठन हुआ है जिस पर जनता के कल्याण और दिल्ली के विकास की अहम जिम्मेवारी है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल के सब मिनिस्टर्स को और सभी विधायक गण को जहां अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ वहीं सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि पहले से चली आ रही परम्पराओं के अनुसार और इस मौके की गरिमा को देखते हुए हम दो मिनट का मौन धारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना

करेंगे कि हम दिल्ली की तरक्की के लिए मिल-जुलकर काम करें। अब सदन द्वारा दो मिनट के लिए मौन रखा जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन रखा गया।)

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों के नियम-07 के अनुसार, सदस्यों द्वारा Attendance Sheet पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। सदस्यों की सुविधाओं के लिए Attendance Sheet दायीं एवं बायीं ओर दोनों लॉबियों में रखी गई हैं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप जब भी सदन में आएँ, तब अपनी Attendance अवश्य लगायें। अब सचिव, दिल्ली विधान सभा, दिनांक 05 फरवरी, 2025 को हुए आम चुनाव में, आठवीं विधान सभा के लिए चुने गये सदस्यों के संबंध में, भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन दिनांक 09 फरवरी, 2025 की कॉपी सदन पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।¹

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: मैं जहां तमाम सदन के सदस्य, विपक्ष की नेता और विपक्ष के सदस्यों का इस सदन में स्वागत करता हूँ हम लोगों के बीच में वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली भाजपा

¹दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23374 पर उपलब्ध।

के अध्यक्ष भी हम लोगों के बीच में स्पीकर गैलरी में बैठे हुए हैं, उनका भी मैं सदन में विधानसभा के अंदर जो है स्वागत करता हूँ। अब माननीय सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की कार्यवाही शुरू होगी। सचिव, दिल्ली विधान सभा माननीय सदस्यों का नाम पुकारेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगी। उसके बाद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शपथ लेंगे। उसके बाद क्षेत्रवार सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। जो भी सदस्य अपनी बारी के अनुसार शपथ लेने के लिए उपस्थित नहीं हैं, उनके नाम आखिर में पुकारे जायेंगे। जो सदस्य आज शपथ नहीं ले पाएंगे, उनको कल शपथ दिलाई जायेगी। मेरा तमाम सदस्यों से ये अपील है कि जब हम शपथ लेने आएँ हम जिस भी भाषा में शपथ ले रहे हैं तो शपथ के लिए जो मैटिरियल जो शपथ के लिए डिटेल्ड कागज में उपलब्ध कराई गई है हमको वही शपथ है पढ़ना है अन्यथा दोबारा शपथ लेनी पड़ती है इसलिए जो है सभी सदस्यों से मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ कि जो आपके शपथ जिस भी भाषा में है उसके कागज आप के संज्ञान में हों और आपको दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उसी लैंग्वेज में हमको शपथ लेनी है। अब मैं सचिव, विधान सभा से अनुरोध करता हूँ कि वे शपथ ग्रहण की कार्यवाही शुरू करें।

सचिव, विधान सभा: मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को शपथ के लिए आमंत्रित करता हूँ।

सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

क्र.सं.	ए.सी.नं.	सदस्य का नाम	भाषा	शपथ/ प्रतिज्ञान
1.	14	श्रीमती रेखा गुप्ता	हिन्दी	शपथ
2.	40	श्री प्रवेश साहब सिंह	हिन्दी	शपथ
3.	30	श्री आशीष सूद	हिन्दी	शपथ
4.	27	श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा	पंजाबी	शपथ
5.	7	श्री रवीन्द्र इन्दराज सिंह	हिन्दी	शपथ
6.	70	श्री कपिल मिश्रा	संस्कृत	शपथ
7.	31	श्री पंकज कुमार सिंह	हिन्दी	शपथ
8.	1	श्री राजकरण खत्री	हिन्दी	शपथ
9.	2	श्री संजीव झा	संस्कृत	शपथ
10.	3	श्री सूर्यप्रकाश खत्री	हिन्दी	शपथ
11.	4	श्री राजकुमार भाटिया	हिन्दी	शपथ
12.	5	श्री अहीर दीपक चौधरी	हिन्दी	शपथ
13.	6	श्री कुलवन्त राणा	हिन्दी	शपथ
14.	8	श्री गजेन्द्र दराल	हिन्दी	शपथ

15.	9	श्री अनिल झा	मैथिली	शपथ
16.	10	श्री मुकेश कुमार अहलावत	हिन्दी	शपथ
17.	11	श्री मनोज कुमार शौकीन	हिन्दी	शपथ
18.	12	श्री राजकुमार चौहान	हिन्दी	शपथ
19.	13	श्री विजेन्द्र गुप्ता	हिन्दी	शपथ
20.	15	श्री करनैल सिंह	संस्कृत	शपथ
21.	16	श्री तिलक राम गुप्ता	हिन्दी	शपथ
22.	17	श्रीमती पूनम शर्मा	हिन्दी	शपथ
23.	18	श्री अशोक गोयल	हिन्दी	शपथ
24.	19	श्री सोमदत्त	हिन्दी	शपथ
25.	20	श्री पूनरदीप सिंह साहनी	इंग्लिश	शपथ
26.	21	श्री आले मोहम्मद इकबाल	उर्दू	शपथ
27.	22	श्री इमरान हुसैन	हिन्दी	शपथ
28.	23	श्री विशेष रवि	हिन्दी	शपथ
29.	24	श्री प्रवेश रत्न	हिन्दी	शपथ
30.	25	श्री हरीश खुराना	हिन्दी	शपथ

31.	26	श्री कैलाश गंगवाल	हिन्दी	शपथ
32.	28	श्री श्याम शर्मा	हिन्दी	शपथ
33.	29	श्री जरनैल सिंह	पंजाबी	शपथ
34.	32	श्री पवन शर्मा	हिन्दी	शपथ
35.	33	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत	संस्कृत	शपथ
36.	34	श्री संदीप सहरावत	हिन्दी	शपथ
37.	35	श्रीमती नीलम पहलवान	संस्कृत	शपथ
38.	36	श्री कैलाश गहलोत	हिन्दी	शपथ
39.	37	श्री कुलदीप सोलंकी	हिन्दी	शपथ
40.	38	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान	हिन्दी	शपथ
41.	39	श्री उमंग बजाज	हिन्दी	शपथ
42.	41	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह	हिन्दी	शपथ
43.	42	श्री नीरज बैसोया	हिन्दी	शपथ
44.	43	श्री सतीश उपाध्याय	हिन्दी	शपथ
45.	44	श्री अनिल कुमार शर्मा	हिन्दी	शपथ
46.	45	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	संस्कृत	शपथ

47.	46	श्री करतार सिंह तंवर	हिन्दी	शपथ
48.	47	श्री प्रेम चौहान	हिन्दी	शपथ
49.	48	डॉ. अजय दत्त	इंग्लिश	शपथ
50.	49	श्री चंदन कुमार चौधरी	मैथिली	शपथ
51.	50	सुश्री शिखा रॉय	हिन्दी	शपथ
52.	51	सुश्री आतिशी	हिन्दी	शपथ
53.	52	श्री सहीराम	हिन्दी	शपथ
54.	53	श्री राम सिंह नेताजी	हिन्दी	शपथ
55.	54	श्री अमानतुल्लाह खान	उर्दू	शपथ
56.	55	श्री रविकान्त	हिन्दी	शपथ
57.	56	श्री कुलदीप कुमार	हिन्दी	शपथ
58.	57	श्री रविन्दर सिंह नेगी	हिन्दी	शपथ
59.	58	श्री अभय कुमार वर्मा	हिन्दी	शपथ
60.	59	श्री ओम प्रकाश शर्मा	हिन्दी	शपथ
61.	60	डॉ. अनिल गोयल	हिन्दी	शपथ
62.	62	श्री संजय गोयल	संस्कृत	शपथ
63.	63	श्री वीर सिंह धींगान	हिन्दी	शपथ

64.	64	श्री जितेन्द्र महाजन	हिन्दी	शपथ
65.	65	चौधरी जुबैर अहमद	हिन्दी	शपथ
66.	66	श्री अजय कुमार महावर	संस्कृत	शपथ
67.	67	श्री गोपाल राय	हिन्दी	शपथ
68.	68	श्री सुरेन्द्र कुमार	हिन्दी	शपथ
69.	69	श्री मोहन सिंह बिष्ट	हिन्दी	शपथ

सभी माननीय सदस्यों को, असेंबली के सैक्रेटरीयेट को और सभी सदस्यों को इस बात की बधाई देता हूँ जिन्होंने आज जो है इस सदन में अपनी अपनी ओथ ले के अपना दायित्व जो है इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में संभाला है। अब दो बजे तक के लिए हम कार्यवाही को स्थगित करते हैं। दो बजे दोबारा हाउस की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए
स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष (श्री अरविन्दर सिंह लवली)
पीठासीन हुए।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। आपको मालूम है कि आज सदन में अध्यक्ष

का चुनाव होना है। मुझे अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुल 02 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा प्रस्ताव आया है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी:-

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ “कि विजेन्द्र गुप्ता जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्हें इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।”

(प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद)

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजेन्द्र गुप्ता जी के अध्यक्ष के नाम के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: दूसरा प्रस्ताव श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह इस सिलसिले में रखना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव रखें।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:-

“कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी को, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।”

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय मंत्री इस प्रस्ताव के बारे में।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रविद्र इन्द्राज सिंह जी द्वारा प्रस्तावित जो वो प्रस्ताव लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: श्री कुलवंत राणा जी के द्वारा भी एक प्रस्ताव दिया गया है तो वो भी रख सकते हैं अपना प्रस्ताव।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव लाये हैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को जो अध्यक्ष के चयन के लिये, उसके लिये मैं उस प्रस्ताव के मैं पक्ष में भी हूँ और साथ में उनको बधाई भी देता हूँ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत एवं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्री जी द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने है:

“कि श्री विजेंद्र गुप्ता, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।”

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष: चूँकि पहला प्रस्ताव पास हो गया है, इसलिए नियमानुसार अन्य प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी नवगठित आठवीं विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। मैं नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व को बखूबी निभायेंगे तथा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलायेंगे। जिस आसन पर आज आप विराजमान होने वाले हैं, उस पर श्री विट्ठल भाई पटेल जैसे महान नेता विराजमान हो चुके हैं, जो भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। मुझे उम्मीद है कि आप सदन के नियमों और परम्पराओं का सम्मान करते हुए निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूँ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा और श्रीमती आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नव-निर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन तक लेकर आएँ।

(सदन की नेता एवं माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता तथा माननीया नेता, प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता को उनके आसन तक लेकर आए)

(नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी अध्यक्ष पद पर पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता): मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और माननीया मुख्यमंत्री जी अपने विचार व्यक्त करेंगी, उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूँ।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): मैं आज इस आठवीं विधानसभा के पहले सदन में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय सदस्य विजेन्द्र गुप्ता जी को दिल की गहराई से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने दिल्ली की सेवा में अपना जीवन लगाया। तीन बार निगम पार्षद रहते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रहते हुए और इससे पहले दो बार विधायक के रूप में नेता, प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो आपने दिल्ली के लिए काम किया, दिल की गहराई से आदरणीय विजेन्द्र गुप्ता जी को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई। आपका अनुभव, आपका ज्ञान और आपका जो पूरा इस सामाजिक जीवन में विधायक रहते हुए जो एक्सपीरियंस है वो इस सदन के काम आएगा और पूरा संसदीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक प्रणाली से आप इस सदन को चलाएंगे और हम सब सदस्यों को इस सदन में ये मौका मिलेगा कि हम अपनी बात को

बखूबी रख सकें और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस सदन को गरीमापूर्ण तरीके से आपकी अध्यक्षता में चलने का मौका मिलेगा, दिल की गहराई से बहुत-बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किये हैं विजेंद्र जी ने नेता, प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठाकर के बाहर भेज दिया जाता था, परन्तु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए, मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे, एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई।

माननीय अध्यक्ष: मैं सुश्री आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखे।

श्रीमती आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष): सबसे पहले तो मैं हमारे पिछली विधान सभा में भी साथी रहे विजेंद्र गुप्ता जी जो नेता, प्रतिपक्ष रहे, दो बार नेता, प्रतिपक्ष रहे आज दिल्ली विधान सभा के स्पीकर बने हैं, मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूं, बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूं। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधान सभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए और आज आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत-बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय एक बात पर बहुत दुख व्यक्त करूंगी जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधान सभा में जो

दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और शहीदे आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया।

माननीय अध्यक्ष: मैडम बैठिए।

श्रीमती आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष): शहीदे आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैडम बैठिए, आप शिष्टाचार का।

श्रीमती आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष): जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए, मैडम, बैठिए।

श्रीमती आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष): शहीदे आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। अब मैं अनुरोध करूंगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी अपने विचार रखेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी।

माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा): धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज हमें बहुत हर्ष है, हम सबके लिए बहुत हर्ष का मौका है। आज विजेंद्र गुप्ता जी जो लम्बे समय से।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: हां बोलिये। आप बैठ जाइये। बैठ जाइए बैठिये, बैठिये। बैठिये, बैठिये। बैठिये, बैठिये।

....व्यवधान....

माननीय उद्योग मंत्री: हो गया, हो गया। हो गया, हो गया, चलिए बैठिये। हो गया।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, बैठिये।

माननीय उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी व्यवस्था बनाइए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये आप। बैठिये। मैडम बैठिये, मैडम बैठिये। मैडम बैठिये। देखिये चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। आप बैठिये, आप भी बैठिये, आप भी बैठिये मनजिंदर जी। ये जो समय है ये शिष्टाचार यहां पे सम्बोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिये था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिये था।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: मैं कड़े शब्दों में, कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मुद्दा उठाने के लिये आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाईये, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहां बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदारपूर्ण रवैया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिये। मनजिन्दर सिंह सिरसा जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मनजिन्दर सिंह सिरसा जी। मनजिन्दर सिंह सिरसा जी।

माननीय उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरीके से अभी आप।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मनजिन्दर सिंह सिरसा।

....व्यवधान....

माननीय उद्योग मंत्री: संजीव भाई बैठिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता, मैं चेतावनी देता हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करिये। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में तो उसको सहन नहीं किया जायेगा। ये आपका व्यवहार निंदनीय है, इस पर आपका व्यवहार अराजकतापूर्ण है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनायें और अपना स्थान ग्रहण करें, मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं यहां, अराजकतावादी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं तमाम अपने साथियों को कि वो इस पूरे मामले पर, इस पूरे मामले पर अपना स्थान लें।

....व्यवधान....

माननीय उद्योग मंत्री: देखिये चलिये।

माननीय अध्यक्ष: और ये अराजकतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है, सदन के पहले दिन ही कार्यवाही शुरू होते ही इस प्रकार की अराजकता सदन में फैलाना ये आम आदमी पार्टी के सदस्य उनको ये शोभा नहीं देता, ये पूरी तरह से अराजकता है, नियमों का उल्लंघन है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। आसन का भी निर्देश का पालन न करना और बिना समय दिये बोलना ये कृत्य आपका निंदनीय है। मेरा आपसे अनुरोध है आप अपना स्थान लें और सदन की इस गरिमापूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने

का प्रयास न करें। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ आप बैठिये, और सदन की गरिमा को समाप्त न करिये। सिरसा जी।

माननीय उद्योग मंत्री: मैं आज विजेन्द्र गुप्ता जी के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मैं विपक्ष के सदस्यों को कहूंगा वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सदन की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, सदन की गरिमा को वो पूरी तरह से, ये बधाई प्रस्ताव है, विधान सभा अध्यक्ष के चयन पर ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना, कहना आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूँ, ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जायें। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अपना स्थान लीजिये। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिये आप आमंत्रित हैं। मनजिन्दर सिंह सिरसा।

माननीय उद्योग मंत्री: धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठिये। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित हैं जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आये हैं, लिख कर भेज दीजिये। मनजिन्दर सिंह सिरसा जी।

माननीय उद्योग मंत्री: विजेंद्र गुप्ता जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तीन बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधान सभा में भी काम किया, जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं तो हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सब के लिये बड़े हर्ष की बात है और एक बात मैं जहां आपको बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी सदस्यों से मिल कर हम सब आपको बधाई देते हैं, हमें पता है कि ये जो विधान सभा में आपके साथ होता था जैसे अभी हमारी सीएम महोदया ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था कि बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्र है कभी जो आपको उठा के बाहर फैंकते थे आज इस विधान सभा में नहीं रहे। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया जिन लोगों ने 1984 के कातिलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार, जगदीश टाईटलर को फारिग किया हो, जिन लोगों ने कहा

हो टाईटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी इस पार्टी का था, समर्थन में चुनाव लड़ेंगे। जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातिलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुःख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे अनुरोध है बैठ जाईये, बैठ जाईये, बैठ जाईये आप बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाईये, बैठ जाईये आप बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय उद्योग मंत्री: जो पाप आपने किया है मैं इसके लिये..

...व्यवधान...

माननीय उद्योग मंत्री: ...करता हूं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूं बैठिये, बैठिये, बैठिये आप। ये आप बैठिये, बैठिये, बैठिये आप। कुलवंत राणा जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिये कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा: माननीय अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक रूप से बहुत-बहुत बधाई। यह सत्य है कि इस कुर्सी पर माननीय विट्ठल भाई पटेल जी के बाद चरती लाल गोयल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी, योगानन्द शास्त्री साहब, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी और रामनिवास गोयल जी ने भी इस पद को सुशोभित किया है और यह भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में प्रारंभ से ही आप समाज सेवा से जुड़े हुये हैं और आप निगम पार्षद पहले बने फिर आप विधायक भी बने, नेता, विपक्ष भी बने कार्पोरेशन में और फिर विधानसभा में भी आप दो बार नेता, विपक्ष रहे। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत अनुभव है और उस अनुभव का लाभ पूरे हाउस को मिलेगा, दिल्ली को प्राप्त होगा और मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि समय होता है हर चीज़ का उचित-अनुचित का ध्यान रखते हुये विरोध कब करना है, कब नहीं करना और कब धन्यवाद करना है उसका ध्यान रखेंगे। हाउस चलेगा और हाउस में आपका सहयोग चाहिये। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, आपके अध्यक्ष बनने पर बहुत-बहुत बधाई और मैं मंत्री चाहूंगा, कुछ नये मित्र हैं उनको अनुशासन का ध्यान रखना चाहिये और ज्यादा ना बोलते हुये पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आभार।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैडम बैठिये, आप बैठिये, अरविंदर सिंह लवली अपनी बात करेंगे मैडम आप बैठिये। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही को, आप शुरू करिये शुरू करिये आप।

...व्यवधान...

श्री अरविन्दर सिंह लवली: अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं।

...व्यवधान...

श्री अरविन्दर सिंह लवली: आप अध्यक्ष हाउस को आर्डर में लाईये ना।

माननीय अध्यक्ष: मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं ये बधाई प्रस्ताव है आप बैठिये, आप बैठिये बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: लवली जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिये।

श्री अरविन्दर सिंह लवली: अध्यक्ष जी ये हाउस तो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बहुत ही दुःख की बात है की विपक्ष एक गैर-जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। विपक्ष के सदस्य गैर-जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहां पर अपना व्यवहार प्रस्तुत कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जायेगा लेकिन आपकी ये कार्यवाही सीधे तौर पर सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने से इसको रोका जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठें क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बनाकर रखिये, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया जाये, सदन की कार्यवाही को रोकना पूरी तरह से गैर-कानूनी है और ये अपनी.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मेरा ये अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करिये और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आम आदमी पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेन्स करना और मैं चाहूंगा कि अरविन्दर सिंह लवली जी से पहले अभय वर्मा जी अपनी बात कहें, अभय वर्मा।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी ये जो अभी नारा लगा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं चाहूंगा विपक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिये जायें।

श्री अभय वर्मा: ये 62 से 22 पर आ गये इनको समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष: विपक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिये जायें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विपक्ष के सदस्यों के माइक खोलें जायें ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिये विपक्ष के सदस्य बोलेंगे, आप बोलिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विपक्ष के सभी सदस्यों के माइक सबके खोलिये, विपक्ष के सदस्यों के माइक खोलिये, विपक्ष के सभी सदस्यों के माइक खोले जायें क्योंकि ये सदन को डिस्टर्ब कर रहे

हैं विपक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक का इस्तेमाल करिये। माइक पर अपनी बात रखिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिये, सभी माइक खोलें। मुख्यमंत्री जी। खोलिये माइक सबके, सबके माइक खोलिये। आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सदन को डिस्टर्ब करने आये हैं और इनका, इनकी अराजकता के खिलाफ मेरा ये कहना है सदन में आवाज़ उठानी चाहिये, चलिये माइक खोलिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलाईये माइक, माइक खोलिये, खोलिये माइक।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बहुत ही दुख की बात है कि सदन को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। बहुत ही दुःख की बात है। सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब किया जा रहा है। सदन को पन्द्रह मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न 2:41 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष: अरविन्दर सिंह लवली जी।

श्री अरविन्दर सिंह लवली: अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद इस सदन की लोकतान्त्रिक परम्पराएं दोबारा से बरकरार होंगी। इस सदन के अंदर प्राइवेट मेम्बर्स का डे होगा जिसको बाबा साहेब ने ही हमको अधिकार दिया है। इस सदन के अंदर प्रश्न काल फिर से लागू होगा जिसका अधिकार बाबा साहेब ने दिया है। आज जो बाबा साहेब के ठेकेदार बन रहे हैं, ग्यारह साल से लोकतंत्र की हत्या इस सदन के अंदर करते रहे हैं। वो सदन जिस सदन के अंदर महात्मा गांधी आये हों, वो सदन जिस सदन के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल रहे हों, उस सदन में ग्यारह साल जो अम्बेडकर जी की लोकतान्त्रिक व्यवस्था की हत्या करते रहे हैं वो आज बाबा साहेब की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद वो लोकतान्त्रिक मूल्य, वो लोकतान्त्रिक चीजें ...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठिये।

श्री अरविन्दर सिंह लवली: फिर से इस सदन में बहाल होंगी।

माननीय अध्यक्ष: सभी बैठिये। जरनैल सिंह जी, जरनैल जी बैठिये। आप बैठिये। आप बैठिये। पवन जी, पवन शर्मा जी बैठिये।

श्री अरविन्दर सिंह लवली: ये सदन, ये सदन दोबारा से अपना वो खोया हुआ गौरव... अध्यक्ष जी आपकी अध्यक्षता में मुझे उम्मीद है कि जिस असेम्बलीज की पार्लियामेंट का स्वप्न बाबा साहेब ने रखा था वो स्वप्न फिर से साकार होगा। इस सदन की परम्पराएं फिर से बरकरार होंगी। इस सदन में क्वेश्चन आवर्स होगा, इस सदन में 280 होगा, इस सदन में प्राइवेट मेम्बर्स रेजोल्यूशन होगा और ग्यारह साल तक जो इस सदन की परम्पराओं को जो तारतार करते रहे हैं, उनको दिल्ली के लोगों ने सजा दी है। उनको जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में और मजबूती के साथ सजा देंगे। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: तरविन्दर सिंह मारवाह

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: आपने जो तीन बार विधान सभा की सेवा की है। कार्पोरेशन की सेवा की है। आपने दिल्ली की सेवा की है। ये जो लोग हैं बीस-बीस गाड़ियां इनसे छिन गई है। बीस गाड़ियां छिन गई हैं। और तीसरी आप अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? इनके दस-दस गाड़ियां, दो-दो गाड़ियां। पैसे चले गए इनके पैसे। पैसे, पैसे चले गए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, पैसे-पैसे, पैसे-पैसे। अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में, करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सत्येन्द्र जैन अंदर गया। आज इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो। पैसे, पैसे दे दो अध्यक्ष जी। इनको

पैसे, आतिशी को पैसे दे दो। पैसे चाहिए पैसे। पैसे चाहिए पैसे। अध्यक्ष जी इनको, आप लोग संविधान को नहीं मानते।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं। ये संविधान को मानते नहीं हैं। संविधान को नरेन्द्र मोदी जी मानते हैं। अम्बेडकर को हम मानते हैं। ये नहीं मानते। अभी मैंने नारे लगाये। जय भीम, जय भीम क्यों नहीं बोलते। इनको पैसे दे दो, पैसे। दस-दस गाड़ियां दे दो। चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: अनिल झा। अनिल झा। आपको बधाई प्रस्ताव पर बोलना है। बधाई प्रस्ताव पर।

श्री अनिल झा: अध्यक्ष जी आपको तो बधाई है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे हैं। विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार है। मैं विपक्ष के अनिल झा को बधाई प्रस्ताव परबोलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, आप उनको ही नहीं बोलने दे रहे। आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कौन होगा। अनिल झा। अनिल झा अपनी बात कहेंगे। अनिल झा बधाई प्रस्ताव पर बोलेंगे और सिर्फ बधाई प्रस्ताव पर ही बात कर सकते हैं। अनिल झा। अगर आप नहीं बोलना चाह रहे हैं तो मैं हरीश खुराना। हरीश खुराना।

श्री हरीश खुराना: अध्यक्ष जी। आपका।

माननीय अध्यक्ष: बहुत ही खेद का विषय है कि विपक्ष के सदस्य को भी खुद नहीं बोलने दे रहे।

श्री हरीश खुराना: लोकतंत्र के..

माननीय अध्यक्ष: मतलब इतना गैर जिम्मेदार और अराजकतापूर्ण व्यवहार। मैं विपक्ष के सदस्य को बुलवा रहा हूँ। उसे ही नहीं बोलने दे रहे और उसे ही आंखे दिखा रहे हैं आप। आप आंखे दिखा रहे हैं अपने ही सदस्य को कि नहीं बोलना। आप उसको आंखे दिखा रहे हो आप कि नहीं बोलना। अपने ही सदस्य को बोल रहे हैं। आप आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं आप। आपस में लड़ रहे हैं और सदन का समय खराब कर रहे हैं। मतलब आपके सदस्य को बोलने को कहा उसको ही आंखे दिखा कर मना कर रहे हैं आप। आप यहां पर चर्चा करने आये हैं या यहां पर शोर मचाने आये हैं। बैठिये। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ बैठिये। आज पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्ष के सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं ये किस प्रकार के उद्दंड हैं। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ, ये उद्दंडता नहीं चलेगी इस सदन में बैठिये आप सब लोग, बैठिये मैडम बैठिये। बहुत ही खेद का विषय है आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। हरीश खुराना।

श्री हरीश खुराना: आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के इस मंदिर के इस पद पर आपको आज बैठने पर बहुत-बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं हों और जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा है चाहे वो एमसीडी के अंदर हो, चाहे वो संगठन के मामले में हो, चाहे वो विपक्ष के नेता के तौर पर हो, जिस प्रकार का आपने कार्य किया है अपने आप में इन लोगों को सिखाने वाला काम करा है और मेरे लिए तो बहुत पर्सनल बात है क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में शुरू किया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जो पहली बार चुनकर आए हैं वो आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हम बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार फिर आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं लेकिन विपक्ष के इस व्यवहार को हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं क्योंकि आज सिर्फ मामला था आपका धन्यवाद करने का, आपको बधाई देने का। आज इनको याद आ रही है भीम की, उस वक्त याद नहीं आई जब ये लोग आपको और विपक्ष को बाहर करते थे, तब अंबेडकर याद नहीं आए थे। तब अंबेडकर याद नहीं आए थे जब क्वेश्चन ऑवर नहीं होते थे, तब इनको याद नहीं आता था इसलिए ये प्रस्ताव मैं पेश करता हूं कि इन लोगों की घोर शब्दों में निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद हरीश जी, आप सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यगण मैं इस महान सदन के

सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस पद पर आसीन किया है तथा इस सदन को संचालित करने का गंभीर उत्तरदायित्व सौंपा है। यह सदन ऐतिहासिक है तथा यह पद लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है। भारत के संसदीय इतिहास के पहले निर्वाचित अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल ने ठीक 100 वर्ष पहले यानी आज से 100 वर्ष पहले 1925 में इस आसन को सुशोभित किया था। मैं उनको श्रद्धापूर्वक, सादर नमन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस सभागार में बैठे हैं जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विराजमान होकर इसे सुशोभित किया था जिनमें श्री गोपाल कृष्ण गोखले, विट्ठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री सुंदर सिंह मजीठिया, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसी विभूतियां थीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहां दो बार आए थे। जब यह सभागार दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन बना तो यहां पर सरदार गुरुमुख सिंह, निहाल सिंह, श्री जग प्रवेश चंद्र, श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री मीर मुश्ताक अहमद, श्री पुरुषोत्तम गोयल, श्री चरती लाल गोयल, श्री सुभाष चोपड़ा, श्री अजय माकन, चौधरी प्रेम सिंह, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, श्री एमएस धीर, श्री राम निवास गोयल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने इस आसन की शोभा बढ़ाई। मुझे विपक्ष की इस भूमिका पर खेद है इसलिए मैं अपना बाकी का वक्तव्य खड़े होकर पढ़ रहा हूं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष: बहुत दुख की बात है कि इन लोगों को आसन का भी कोई सम्मान नहीं है। जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सदस्यों को बैठना होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पुराने सदनों के सदस्य रहे कई वरिष्ठ नेता निर्वाचित होकर आए हैं जिनके अनुभव का लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही कई नये सदस्य भी निर्वाचित होकर आए हैं जो अपनी मेहनत और कुशल कार्य-प्रणाली से दिल्ली के विकास में अपना योगदान देंगे। सत्ता बदलती रहती है लेकिन सदन की गरिमा, मूल्य और परंपराएं शाश्वत रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य मेरे लिए समान हैं। सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम सबको मिलकर दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। सदन के सदस्यों को पूरे सामंजस्य के साथ कार्य करना चाहिए तभी वे जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह निर्वहन करने में सक्षम होंगे। विधायकों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक सत्ता की अधिकारी होती है। किसी भी विधानमंडल की छवि सदस्यों के आचरण से ही बनती है। सदस्यों को न केवल जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखना है बल्कि उनकी आवाज को इस

सदन में भी उठाना है। सदन जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु होता है। इसलिए सदस्यों को सदन में जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखना है।

विधायकों को सदन की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछने चाहिए और सदन में होने वाली विभिन्न चर्चाओं के दौरान अपने विचार प्रकट करने चाहिए। संवैधानिक नियमों का पालन करना और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रचनात्मक भागीदारी और आपसी संवाद विधायी कामकाज के लिए आवश्यक है।

आइये, हम सब दिल्ली की जनता की समर्पण भाव से सेवा करने की प्रतिज्ञा लें। साथ ही हमारे क्रिया-कलापों में लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रति सम्मान और आपसी सद्भाव की भावना होनी चाहिए।

सदन नियमों से चलता है। हम सब इन नियमों से बंधे हैं। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवाही के दौरान आप सभी निर्धारित नियमों का पालन करें। मैं आज ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निर्धारित नियमों से अलग किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मैं सदन की नेता श्रीमती रेखा गुप्ता, सभी मंत्रीगण एवं सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि आपने सर्वसम्मति से मुझे चुना और समर्थन दिया। साथ ही, मैं इस

सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविन्दर सिंह लवली के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हम सभी को विधान सभा की सदस्यता की शपथ दिलाई।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति, धैर्य और विवेक प्रदान करे कि हम आने वाले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली की जनता की भलाई के लिए अपना सार्थक योगदान दे सकें। समर्पण भाव, सार्थक चर्चा, सहयोग, संतुलन, सदाचार और समय का अधिकतम सदुपयोग हमारा ध्येय होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

सदस्यों, मैं आप सबको सूचित करना चाहूंगा, माननीय सदस्यगण को सूचना के साथ कि उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए कल दिनांक 25 फरवरी, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक नोटिस स्वीकार किये जायेंगे। उपाध्यक्ष का निर्वाचन 27 फरवरी, 2025 को किया जायेगा। इस बारे में बुलेटिन भी जारी कर दिया जायेगा।

कल दिनांक 25 फरवरी, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे माननीय उपराज्यपाल महोदय सदन को सम्बोधित करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे कल प्रातः 10 बजकर 45 मिनट तक सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके लिए कोरम बैल नहीं बजाई जायेगी।

सभी माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 फरवरी, 2025 को नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले लिये जायेंगे। अतः माननीय सदस्य नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस दिनांक 25 फरवरी, 2025 शाम 5.00 बजे तक नोटिस ब्रांच, कमरा नं. 46 में दे सकते हैं।

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 25 फरवरी, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 25 फरवरी, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।
